



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2017/ज्येष्ठ 1, 1939

No. 208]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2017/JYAISTHA 1, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

आदेश

कोच्चि, 11 मई, 2017

**फा. सं. 1/7/2016- ईपी(एमपी).**—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (1972 का 13) की धारा 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (इसके बाद से “एमपीईडीए” कहा जाएगा) एतद् द्वारा एमपीईडीए की सलाहकार समिति का गठन करता है जिन्हें इस अधिसूचना के संलग्नक में यथा-उल्लिखित देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए “जलकृषि एवं मात्स्यिकी के निर्यात विकास के लिए राज्य अभिकरण”(इसके बाद से “एसएईडीएएफ़” कहा जाएगा) के रूप में अभिहित किया जाएगा।

## 1. जलकृषि एवं मात्स्यिकी के निर्यात विकास के लिए राज्य अभिकरण का गठन (एसएईडीएएफ़) –

(1) प्रत्येक एसएईडीएएफ़ में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् –

(क) एसएईडीएएफ़ जहां स्थित है वहाँ के राज्य सरकार के मुख्य सचिव	—अध्यक्ष
(ख) एमपीईडीए से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि	—सदस्य
(ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के भारत सरकार के प्रतिनिधि	—सदस्य
(घ) संबन्धित राज्य के पोर्ट ट्रस्ट (ट्रस्टों) के अध्यक्ष या नामिती	—सदस्य
(ङ) तटीय जलकृषि प्राधिकरण के प्रतिनिधि	—सदस्य
(च) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफ़डीबी) के प्रतिनिधि	—सदस्य
(छ) राज्य सरकार के मात्स्यिकी के प्रधान सचिव/आयुक्त	—सदस्य
(ज) राज्य सरकार के राजस्व के प्रधान सचिव/आयुक्त	—सदस्य
(झ) जैव विविधता अधिनियम के राज्य नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि	—सदस्य
(ञ) केंद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान /क्षेत्र या राज्य शिक्षा संस्थान का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ट) राज्य मात्स्यिकी अनुसंधान/क्षेत्र या राज्य शिक्षा संस्थान का एक प्रतिनिधि	—सदस्य

(ठ) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के हैचरी ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ड) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के जल कृषकों का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ढ) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के मछुआरों का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ण) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के मत्स्यन यान मालिकों का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(त) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के प्रसंस्करण संयंत्र मालिकों का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(थ) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(द) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के समुद्री खाद्य निर्यातकों का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ध) नबार्ड का प्रतिनिधि	—सदस्य
(न) प्रमुख बैंक का प्रतिनिधि	—सदस्य
(प) संबन्धित राज्य या क्षेत्र के एमपीईडीए के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	—सदस्य सचिव

### विशेष आमंत्रित

कार्यसूची के आधार पर सदस्य सचिव, अध्यक्ष, एसएईडीएएफ की अनुमति के साथ जिला कलेक्टर, राज्य विभागों, एमपीईडीए की सोसाइटियों जैसे आरजीसीए/नेटफिश/नाक्सा के प्रतिनिधियों, जिनका प्रतिनिधित्व ऊपर न हुआ हो, या किसी भी अन्य विशेष आमंत्रितों को आमंत्रित कर सकता है।

(2) एसएईडीएएफ के सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा।

(3) एसएईडीएएफ के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से लेकर तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं होगा।

(4) एसएईडीएएफ की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अगले वरिष्ठतम प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

(5) एसएईडीएएफ, एमपीईडीए द्वारा दी गयी साधारण अथवा विनिर्दिष्ट सलाह के अध्यक्षीन बैठकों के संचालन के लिए अपनी प्रक्रियाएं बनाएगा।

(6) एसएईडीएएफ की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक और एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

2. सचिवालय- 1. एसएईडीएएफ का मुख्यालय एमपीईडीए द्वारा अभिहित स्थान होगा और यह उसका क्षेत्रीय प्रभाग कहलाएगा।

2. एमपीईडीए के क्षेत्रीय अधिकारी एसएईडीएएफ के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे और इसके निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वयन करेंगे।

3. कार्य- एसएईडीएएफ, राज्य या क्षेत्र में मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के उत्पाद संवर्धन, प्रसंस्करण एवं गुणवत्ता उन्नयन के लिए एमपीईडीए अधिनियम के अध्याय 2 धारा 9(1) में यथा-निर्धारित प्रशासनिक और पर्यावरणिक अनुमति सहित की जाने वाली कार्रवाई पर एमपीईडीए, संबन्धित विभागों, संस्थानों जैसे एनएफडीबी, सीएए, नबार्ड एवं बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों को सलाह एवं सुझाव देगा।

4. विशेषतः एसएईडीएएफ निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा :-

(क) समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन, विकास, संवर्धन, विपणन एवं निर्यात से संबन्धित केंद्रीय और राज्य सरकारों के संबन्धित एजेंसियों के कार्यक्रमों, कार्यकलापों तथा परियोजनाओं का समन्वयन

(ख) विशेषतः समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चलाना

(ग) चिरस्थायी मत्स्यन एवं जलकृषि, प्रसंस्करण तथा मूल्य वर्धन हेतु सहायता की व्यवस्था एवं सहायता प्रदान करना।

(घ) समुद्री उत्पादों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाना।

(ड) मत्स्यन, जलकृषि, प्रसंस्करण, भंडारण तथा गुणवत्ता आश्वासन के लिए समुचित अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देना।

- (च) नवीन एवं विविधीकृत जलकृषि के संवर्धन, विकास तथा अनुसंधान के लिए परियोजना एवं कार्यक्रम चलाना।
- (छ) सभी पणधारियों के बीच मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के मूल्य तथा बाज़ार से संबन्धित सूचना का प्रसार करना।
- (ज) समूह आधारित कृषि के लिए जलकृषकों, मछुआरों एवं निर्यातकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना।
- (झ) मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन, चिरस्थायी मात्स्यिकी, जलकृषि, संग्रहण, संग्रहणोत्तर हैंडलिंग के क्षमता निर्माण में सहायता एवं प्रोत्साहन देना।
- (ञ) समुद्री उत्पादों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता मानकों का विकास एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण का प्रारम्भ करना।
- (ट) निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता एवं जलकृषि से जुड़े कार्यकलापों के लिए प्रयोगशाला की स्थापना करना।
- (ठ) समुद्री उत्पादों के उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता एवं निर्यात से संबन्धित मामलों पर एमपीईडीए, केंद्रीय सरकार एवं क्षेत्र की राज्य सरकारों को सलाह देना।

4. **शक्तियां** - (1) अपने कार्यों के निर्वहन में एसएईडीएएफ को, एमपीईडीए द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के अनुसार कार्यक्रमों, कार्यकलापों और सेवाओं के आयोजन के व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय की मंजूरी देने का अधिकार है।

(2) जिन मामलों में एसएईडीएएफ का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनमें सदस्य सचिव एमपीईडीए के अध्यक्ष से परामर्श करके एसएईडीएएफ को सौंपे गए किसी भी कार्य का निष्पादन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों में उनके द्वारा निष्पादित कार्य के लिए अगली बैठक में कार्योत्तर मंजूरी ली जाएगी।

5. **वित्त** - (1) एसएईडीएएफ अपने कार्यकलापों के लिए एक वार्षिक योजना तथा बजट प्रस्तुत करेगा जिसका विभिन्न पणधारियों और एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार उक्त एसएईडीएएफ द्वारा उसके कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु एमपीईडीए अथवा अन्यथा के माध्यम से यथावश्यक राशि प्रदान करेगा,

6. **नियंत्रण** - एसएईडीएएफ, एमपीईडीए के समग्र प्राधिकार, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

7. प्रत्येक एसएईडीएएफ, एमपीईडीए द्वारा अधिसूचित तारीख से अपना प्रचालन प्रारम्भ करेगा।

8. एमपीईडीए, आवश्यक होने पर अन्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त एसएईडीएएफ स्थापित और अधिसूचित करेगा,

सं. एफ सं. 1/7/2016- ईपी(एमपी) दिनांक 11 मई 2017 के अंतर्गत जारी एमपीईडीए की अधिसूचना का संलग्नक

जलकृषि एवं मात्स्यिकी के निर्यात विकास के लिए राज्य अभिकरण (एसएईडीएएफ)

क्रम सं	अधीन आने वाले राज्य	एसएईडीएएफ का नाम
1.	गुजरात	एसएईडीएएफ, वेरावल
2.	महाराष्ट्र	एसएईडीएएफ, मुंबई
3.	गोवा	एसएईडीएएफ, गोवा
4.	कर्नाटक	एसएईडीएएफ, मैंगलूर
5.	केरल	एसएईडीएएफ, कोच्चि
6.	तमिल नाडू	एसएईडीएएफ, चेन्नै
7.	आंध्र प्रदेश	एसएईडीएएफ, विजयवाड़ा
8.	ओड़ीशा	एसएईडीएएफ, भुवनेश्वर
9.	पश्चिम बंगाल	एसएईडीएएफ, कोलकाता

डॉ ए. जयतिलक, अध्यक्ष एमपीईडीए

[विज्ञापन-III/4/असा./74/17]

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(The Marine Products Export Development Authority)**

**ORDER**

Kochi, the 11th May, 2017

**F. No. 1/7/2016-EP(MP).**— In exercise of the powers conferred under Section 8 (1) of The Marine Products Export Development Authority Act, (13 of 1972), The Marine Products Export Development Authority (herein after referred as “MPEDA”) hereby constitutes an advisory committee of the MPEDA, to be designated as “State Agency for Export Development of Aquaculture and Fisheries” (hereinafter referred as “SAEDAF”) for various regions of the country as mentioned in annexure to this order.

**1. Constitution of State Agency for Export Development of Aquaculture and Fisheries (SAEDAF). –**

(1) Each SAEDAF shall consist of the following members namely:-

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (a) Chief Secretary to the State Government where the SAEDAF is located                                       | —Chairperson      |
| (b) A senior representative from MPEDA  | —Member           |
| (c) Representative of the Government of India with the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member           |
| (d) Chairman or nominee of Port Trust(s) of the concerned State   | —Member           |
| (e) Representative of Coastal Aquaculture Authority   | —Member           |
| (f) Representative of National Fisheries Development Board (NFDB)   | —Member           |
| (g) Principal Secretary/Commissioner of Fisheries of the State Government                                     | —Member           |
| (h) Principal Secretary/Commissioner of Revenue of the State Government                                       | —Member           |
| (i) The representative from State Nodal Agency for Biodiversity Act   | —Member           |
| (j) A representative of Central Fisheries Research/Education Institute of the State or Region                 | —Member           |
| (k) A representative of State Fisheries Research/Education Institute of the State or Region                   | —Member           |
| (l) A representative of Hatchery operators in the concerned State or Region                                   | —Member           |
| (m) A representative of Aqua Farmers in the concerned State or Region   | —Member           |
| (n) A representative of Fishers in the concerned State or Region  | —Member           |
| (o) A representative of Fishing vessel owners in the concerned State or Region                                | —Member           |
| (p) A representative of Processing Plant owners in the concerned State or Region                              | —Member           |
| (q) A representative of Ornamental fish breeders in the concerned State or Region                             | —Member           |
| (r) A representative of the exporters of seafood in the concerned State or Region                             | —Member           |
| (s) Representative of NABARD  | —Member           |
| (t) Representative of Lead Bank   | —Member           |
| (u) Joint Director /Deputy Director of MPEDA in the concerned State or Region                                 | —Member-Secretary |

***Special Invitees***

Based on the agenda, the Member Secretary with the permission of Chairman, SAEDAF may invite the District Collector, representatives from the State Departments which are not represented above, Societies of MPEDA such as RGCA/NETFISH/NaCSA, or any other special invitees.

(2) The members of SAEDAF will be nominated by the Government.

(3) The Members of the SAEDAF shall hold office for such period not exceeding three years from the date of appointment.

(4) All meetings of the SAEDAF shall be chaired by the Chairperson and in his/her absence, the meetings shall be chaired by the next senior most representative of the Central Government or the State Government as the case may be.

(5) The SAEDAF may devise, subject to any general or specific advice given by the MPEDA, its own procedures for conduct of its meetings.

(6) The SAEDAF shall have one meeting in each quarter and not less than two meetings in a financial year.

**2. Secretariat.** - (1) The Headquarters of the SAEDAF shall be in a place designated by the MPEDA as its Regional Division.

(2) The Regional Officer of the MPEDA shall act as the Member Secretary of the SAEDAF and coordinate with relevant agencies to implement its decisions.

**3. Functions:** - (1) The SAEDAF shall advise and recommend MPEDA, concerned State Departments, institutions like NFDB, CAA, NABARD and other Banking and financial institutions on the actions to be taken including administrative and environmental clearances for the promotion of production, processing and quality up gradation of fish and fishery products in the State or region as laid down in Chapter 2 Section 9(1) of the MPEDA Act.

(2) In particular, the SAEDAF may:-

- (a) coordinate programmes, activities and projects of the concerned agencies of the Central and State Governments relating to quality, production, development, promotion, marketing and export of marine products;
- (b) undertake programmes and projects, in particular, for promotion of export of marine products;
- (c) arrange and provide assistance for sustainable fishing and aquaculture, processing and value addition;
- (d) carry out promotional programmes to increase production and consumption of marine products;
- (e) assist and encourage creation of appropriate infrastructure for fishing, aquaculture, processing, storage and quality assurance;
- (f) undertake programmes and projects for research and development, promotion of innovative and diversified aquaculture;
- (g) disseminate information on market and price of fish and fishery products among all the stakeholders;
- (h) promote co-operative efforts among aqua farmers, fishers and exporters for cluster based farming;
- (i) assist and encourage capacity building on sustainable fishery, aquaculture, harvest, post harvest handling and quality assurance of fish and fishery products;
- (j) evolve suitable quality standards and introduce certification of quality for marine products;
- (k) establish laboratories to undertake activities connected with aquaculture and quality of marine products for export;
- (l) advise the Central Government, State Governments of the region and MPEDA on matters related to production, marketing, quality and export of marine products;

**4. Powers:-** (1) In discharging its functions, the SAEDAF, shall have the powers to sanction the expenditure for undertaking programmes, activities and services and other administrative expenses as per the financial and administrative powers delegated by the MPEDA.

(2) In case, a specific approval of the SAEDAF cannot be obtained, the Member Secretary may perform any of the function assigned to the SAEDAF, in consultation with the Chairman MPEDA, subject to the ex-post facto approval in the next meeting, of the functions performed by him/her.

**5. Finance:-** (1) The SAEDAF shall submit an annual plan and budget of its activities which shall be approved by the MPEDA for implementation by the concerned stakeholders and agencies.

(2) The Central Government may provide, through the MPEDA or otherwise, grant of such sums of amount as may be necessary for the said SAEDAF to carry out its functions effectively.

**6. Control.-** The SAEDAF shall function under the overall authority, supervision and control of the MPEDA.

7. Each SAEDAF shall commence its operations from a date as may be notified by the MPEDA.

8. The MPEDA may setup and notify additional SAEDAF for other regions as may be necessary.

**Annexure to notification of MPEDA issued under No. F. No. 1/7/2016 - EP (MP) dated 11th May, 2017.  
State Agency for Export Development of Aquaculture and Fisheries (SAEDAF)**

S. No.	State Covered	Name of SAEDAF
1	Gujarat	SAEDAF, Veraval
2.	Maharashtra	SAEDAF, Mumbai
3.	Goa	SAEDAF, Goa
4.	Karnataka	SAEDAF, Mangalore
5.	Kerala	SAEDAF, Kochi
6.	Tamil Nadu	SAEDAF, Chennai
7.	Andhra Pradesh	SAEDAF, Vijayawada
8.	Odisha	SAEDAF, Bhubaneshwar
9.	West Bengal	SAEDAF, Kolkata

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman, MPEDA

[ADVT-III/4/Exty./74/17]